KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

BPSC - Polity

By : Karan Sir

राज्यपाल - Governor

राज्यपाल का तात्पर्य क्या है?

- ❖ राज्य कार्यकारिणी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता से बनी होती है।
- ❖ राज्यपाल, राष्ट्रपति के रूप में, राज्य सरकार का प्रमुख होता है।
- ❖ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153-167 देश की राज्य सरकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।
- ❖ राज्यपाल एक नाममात्र प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख होता है और साथ ही, वह केंद्र का एजेंट होता है क्योंकि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को नामित करती है।

राज्यपाल की नियुक्ति

☞ राज्यपाल न तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार, राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है।

राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या है?

संविधान, किसी राज्यपाल को केवल दो योग्यताएं पूरी करने की बात कहता है-

- ❖ वह भारतीय नागरिक होना चाहिए
- ❖ उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

☞ **नोट:** किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नामित करने से पहले सरकार दो परंपराओं का पालन करती है:

- ❖ उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता जो उसी राज्य का निवासी हो। वह एक बाहरी व्यक्ति होगा जिसका उस राज्य से कोई संबंध नहीं होगा जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है।
- ❖ राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाता है

भारत में राज्यपाल और अमेरिका तथा कनाडा के राज्यपालों की नियुक्ति का तुलनात्मक अंतर

☞ भारतीय राज्य के राज्यपाल, कनाडा और अमेरिका के राज्यपाल तीनों संवैधानिक प्रमुख हैं। वे अपने-अपने राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। हालांकि, इन तीनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं।

भारत में राज्यपाल और अमेरिका तथा कनाडा के राज्यपालों की नियुक्ति का तुलनात्मक अंतर

क्र.सं.	विषय	भारत	अमेरिका	कनाडा
1.	नियुक्ति	भारतीय राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।	अमेरिका के राज्यपालों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।	कनाडा के राज्यपालों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
2.	कार्यकाल	भारतीय राज्य के राज्यपालों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।	अमेरिका के राज्यपालों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, लेकिन उन्हें 2 बार फिर से चुना जा सकता है।	कनाडा के राज्यपालों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उन्हें 5 साल बाद फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

3.	कार्य	भारतीय राज्य के राज्यपालों के पास कुछ विधायी और कार्यकारी शक्तियां होती हैं। वे राज्य विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकते हैं और विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं।	अमेरिका के राज्यपालों के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। वे राज्य विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकते हैं, विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं और यहां तक कि कानून भी बना सकते हैं।	कनाडा के राज्यपालों के पास कुछ विधायी और कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं। वे राज्य विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकते हैं और विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि, उनकी शक्तियां भारत के राज्यपालों की तुलना में सीमित होती हैं।
4.	संवैधानिक भूमिका	भारतीय राज्य के राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व और औपचारिकता की है। वे राज्य के मुखिया होते हैं और संविधान के अनुसार कार्य करते हैं।	अमेरिका के राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका अधिक शक्तिशाली होती है। वे राज्य के मुखिया होते हैं और संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। हालांकि, उनके पास विधायी और कार्यकारी शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, इसलिए वे अक्सर अपने राज्यों के वास्तविक शासक होते हैं।	कनाडा के राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका भी मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व और औपचारिकता की है। हालांकि, वे भारत के राज्यपालों की तुलना में अधिक स्वतंत्र होते हैं।

राज्यपाल की पदावधि एवं विवाद

राज्यपाल का निष्कासन

- ❖ केंद्र सरकार को राष्ट्रपति की सहमती के आधार पर किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसी भी समय हटाने का अधिकार है, यहाँ तक की उसे हटाये जाने के कारण बताए बिना।
- ❖ हालांकि इन अधिकारों का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग असमान्य और असाधारण परिस्थितियों में वैध और मजबूरी के कारण किया जा सकता है।
- ❖ एक राज्यपाल को हटाने के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अदालत केंद्र सरकार से वह साक्ष्य प्रस्तुत करने को कह सकती है जिसके द्वारा निर्णय लिया गया।

भारतीय राज्य के राज्यपाल को केंद्र का रबर स्टांप क्यों कहा जाता है?

☛ राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिनमें कानूनों को मंजूरी देना, मंत्रिमंडल का गठन करना शामिल हैं।

☛ भारतीय राज्य के राज्यपाल को केंद्र का रबर स्टांप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास संविधान में कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, लेकिन वे अक्सर इन शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के अनुरूप करते हैं। इसका कारण यह है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, राज्यपालों पर केंद्र सरकार का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ मंत्रिपरिषद के गठन की अनुमति देना या अस्वीकार करना
- ❖ विधानसभा को भंग करना
- ❖ विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना या उसे अस्वीकार करना
- ❖ आपातकाल की घोषणा करना
- ❖ विधेयकों को वीटो करने की शक्ति: राज्यपाल किसी भी विधेयक को वीटो कर सकता है। यह शक्ति भी केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उपयोग की जा सकती है।

- इसके अलावा, राज्यपाल कई ऐसी शक्तियों का उपयोग कर सकता है जिनका उपयोग वह राज्य सरकार के कामकाज को प्रभावित करने के लिए कर सकता है।

उदाहरण के लिए,

- राज्यपाल राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने से मना कर सकता है,
- राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त या बर्खास्त कर सकता है,
- राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा कर सकता है।

- इन शक्तियों के कारण, राज्यपाल को अक्सर केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है। यह आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशानुसार काम करते हैं और राज्य सरकार की स्वायत्तता का उल्लंघन करते हैं।
- हाल के वर्षों में, इस मुद्दे पर विवाद बढ़ गया है। कई मामलों में, राज्यपालों ने केंद्र सरकार के सत्ताधारी दल के पक्ष में कार्रवाई की है। इससे राज्य सरकारों के विरोध का सामना करना पड़ा है और संघवाद को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है।

कैसे भारतीय राज्य के राज्यपाल केंद्र के रबर स्टांप नहीं हैं?

- भारतीय राज्य के राज्यपाल केंद्र के रबर स्टांप नहीं हैं, क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग राज्यपाल अपनी विवेक पर कर सकते हैं।
- राज्यपाल की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार निम्नलिखित हैं:
- राज्य सरकार का गठन करना: राज्यपाल राज्य सरकार का गठन करता है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या दल के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।
- विधानसभा को भंग करना: राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।
- राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बिल भेजना: राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल चाहे तो बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
- राज्यपाल को राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना: राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करता है।
- इन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल राज्य की राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल की भूमिका को अक्सर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता है।
- उदाहरण के लिए, 2023 में, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य में राजनीतिक संकट के दौरान अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा का सत्र बुलाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि सत्र बुलाने से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इस निर्णय ने केंद्र सरकार को नाराज कर दिया, लेकिन राज्यपाल ने अपनी स्थिति पर कायम रहे।
- इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल केंद्र के रबर स्टांप नहीं हैं। वे संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उन्हें राज्य की सरकार को चलाने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं। हालांकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसलिए यह संभव है कि वे केंद्र सरकार के दबाव में आ जाए।

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त सारांश

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त सारांश निम्नलिखित है:

- राज्य पुनर्गठन आयोग (1956): इस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक सलाहकार समिति बनाने की सिफारिश की। इस समिति में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए।
- सरकारिया आयोग (1983): इस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने की सिफारिश की। इस पैनल में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति शामिल होने चाहिए।
- अध्यक्षीय आयोग (1990) ने राज्यपालों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें कीं। इनमें राज्यपालों के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित करना, राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य विधानमंडल को शामिल करना और राज्यपालों की सेवा अवधि को सीमित करना शामिल हैं।
- संविधान संशोधन समिति (2000): इस समिति ने सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाए। इस निकाय में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपालों के पूर्व, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होने चाहिए
- लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011: इस विधेयक में सिफारिश की गई थी कि राज्यपालों की नियुक्ति के लिए एक लोकपाल का गठन किया जाए। इस लोकपाल में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपालों के पूर्व, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होने चाहिए।

- ❖ राज्यपालों पर संसदीय समिति (2019) ने राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें कीं। इनमें राज्यपालों के लिए योग्यता मानदंडों को और अधिक स्पष्ट करना, राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य विधानमंडल के योगदान को बढ़ाना और राज्यपालों की सेवा अवधि को 5 वर्ष से 3 वर्ष तक सीमित करना शामिल हैं।

इन समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं:

- ❖ राज्यपालों के लिए योग्यता मानदंडों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इन मानदंडों में उम्मीदवार की उम्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और राजनीतिक निष्ठा शामिल होनी चाहिए।
- ❖ राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य विधानमंडल को शामिल किया जाना चाहिए। इससे राज्यपालों की नियुक्ति को अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाया जा सकता है।
- ❖ राज्यपालों की सेवा अवधि को सीमित किया जाना चाहिए। इससे राज्यपालों की नियुक्ति में राजनीतिक पक्षपात को कम करने में मदद मिलेगी।

☛ इन सुधारों से राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। इससे राज्यपालों की नियुक्ति में राजनीतिक पक्षपात कम होगा और राज्यपालों का पद अधिक प्रभावी और निर्णायक बनेगा ।

☛ संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करने के कारण संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया जिसके निम्नलिखित कारण हैं-

1. राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है।
2. सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है।
3. राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है।
4. राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से वैयक्तिक मामला है इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है।
5. एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा।
6. राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी।
7. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा।
8. राज्यपाल का सीधा निर्वाचन, राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है।
9. मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा।

☛ यही कारण है कि अमेरिकी मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, को छोड़ दिया गया एवं कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया।

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं?

☛ राज्य के राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक अधिकार होंगे। लेकिन उसके पास भारत के राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन अधिकार नहीं होंगे।

☛ राज्यपाल के अधिकार और कार्य को एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है

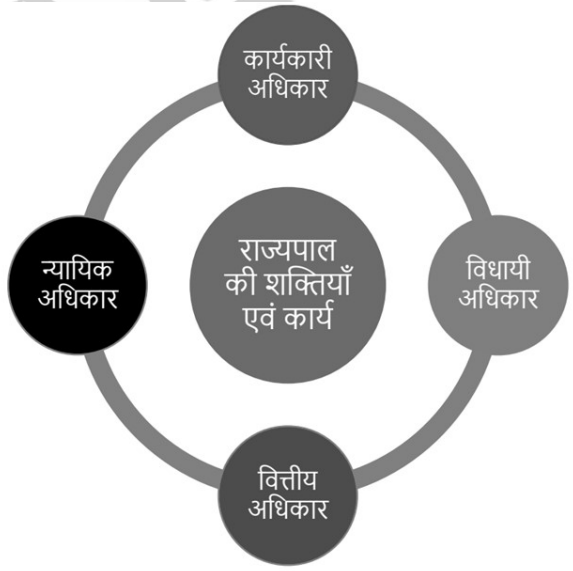

कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां

राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ निम्नलिखित प्रकार की है-

- ❖ राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई उसके नाम पर की जाती है।
- ❖ राज्यपाल के नाम से लिया गया आदेश कैसे प्रमाणित किया जाए, इसके लिए नियम स्वं राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।
- ❖ वह राज्य सरकार के व्यवसाय के लेन-देन को सरल बनाने के लिए नियम बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है।
- ❖ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है।
- ❖ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करना उनकी जिम्मेदारी है:

- छत्तीसगढ़
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- ओडिशा

❖ वह राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करता है।

❖ वह निम्नलिखित अन्य पदाधिकारियों को भी नियुक्त करता है जैसे-

- राज्य चुनाव आयुक्त
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य
- राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति वह राज्य सरकार से जानकारी मांगते हैं

❖ वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश भी करता है।

❖ राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल को व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं।

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित प्रकार के हैं-

❖ राज्य विधानमंडल को स्थगित करना और राज्य विधान सभाओं को भंग करना

❖ वह प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्य विधानमंडल को संबोधित करते हैं

❖ यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल में लंबित है, तो राज्यपाल उससे संबंधित विधेयक राज्य विधानमंडल को भेज भी सकते हैं और नहीं भी

❖ यदि विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो राज्यपाल सत्र की अध्यक्षता के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करता सकता है

❖ राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 को निम्नलिखित क्षेत्रों से नियुक्त करते हैं:

- साहित्य
- विज्ञान
- कला
- सहकारी आंदोलन
- सामाजिक सेवा

❖ वह सदस्यों की अयोग्यता के लिए चुनाव आयोग से परामर्श कर सकता

❖ राज्य विधानमंडल में पेश किए गए विधेयक के संबंध में उसके पास निम्नलिखित अधिकार है-

- उस पर सहमति दें सकता है
- उस पर सहमति रोक सकता है
- विधेयक को वापस विधानमंडल को भेज सकता है

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ

☛ राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ और कार्य के अंतर्गत सजा के विरुद्ध निम्नलिखित प्रकार की क्षमा शक्तियाँ हैं। इसे एक आरेख के मध्यम से दर्शाया गया है-

❖ राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से परामर्श करते हैं।

❖ राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति करते हैं।

❖ राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से, वह व्यक्तियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्त भी करता है।

❖ राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरूद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबत, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।

विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां

☛ संविधान में राज्यपाल के कुछ विशेष अधिकारों का भी वर्णन है, जिनका उपयोग वह विशेष परिस्थितियों में करता है। राज्यपाल के विवेकाधिकार दो तरह के होते हैं-

❖ प्रथम, संविधान में प्रत्यक्ष तौर पर लिखे हुए संवैधानिक विवेकाधिकार।

❖ दूसरे, अप्रत्यक्ष विवेकाधिकार, जो कि तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं।

☛ इन्हें पारिस्थितिकीय विवेकाधिकार कहा जा सकता है। पहले मामले में संविधान में राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करने की छूट दी गई है, जबकि दूसरे मामले में वह इनका उपयोग राज्य की राजनितिक परिस्थितियन को देखते हुए करता है।

संवैधानिक विवेकाधिकार

- ❖ भारत के राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास कुछ विशेष विवेकाधिकार होते हैं। ऐसे विशिष्ट मामलों में उसे मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर काम नहीं करना पड़ता बल्कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर काम करना पड़ता है।
- ❖ राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति के बारे में, विशेषकर संवैधानिक संकट के बारे में रिपोर्ट भेजते समय राज्यपाल अपने विवेक पर पर कार्य करता है (अनुच्छेद 356)।
- ❖ राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने का निर्णय भी राज्यपाल स्वयं ही लेता है (अनुच्छेद 200)।
- ❖ केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी मामले पर विरोध पैदा होने पर भी राज्यपाल अपने विवेक से काम करता है।
- ❖ कोई अध्यादेश जारी करते समय भी राज्यपाल को राष्ट्रपति की सलाह लेनी पड़ती है। ऐसे समय में भी वह अपने विवेक से काम लेता है।
- ❖ असम और नागालैण्ड के राज्यपाल आदिवासी क्षेत्र का प्रशासन चलाने और नागा विद्रोहियों की हिंसक गतिविधि यों पर नियंत्रण संबंधी मामलों पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं।

पारिस्थितिकीय विवेकाधिकार :

- ☛ राज्यपाल किसी विशेष परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल अपने मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से काम करता है। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है और राष्ट्रपति को राज्य की परिस्थिति के संबंध में जानकारी देता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है-
  1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति,
  2. मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, तथा;
  3. विधान सभा भंग करना।
- ☛ अत: राज्यपाल सामान्य स्थिति में संवैधानिक मुखिया तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में विवेक शक्तियों का प्रयोग करने वाला राज्य का महत्वपूर्ण अधिकारी है।

अन्य विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियां

- ☛ संविधान में कुछ विशिष्ट उपबंध हैं, जो राज्यपाल को कुछ विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करते हैं-
- ☛ छठी अनुसूची का अनुच्छेद- 9(2) असम के राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह जिला परिषदों की रॉयल्टी सुनिश्चित करे।
- ☛ अनुच्छेद-239 (2) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल की सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है एवं जहां ऐसे प्रशासक को नियुक्त किया जायेगा, वहां वह स्वतंत्र प्रशासक के रूप में कार्य कर सकता है तथा अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है।
- ☛ उक्त कार्यों के अतिरिक्त, राज्यपाल के कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व भी होते हैं। इन जिम्मेदारियों की स्थिति में वह मंत्रिपरिषद से परामर्श कर सकता है किन्तु अंतिम निर्णय उसका स्वयं को होगा। ऐसे कार्य निम्नानुसार हैं-
- ☛ अनुच्छेद-371 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति महाराष्ट्र या गुजरात के राज्यपाल को क्रमश: विदर्भ, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के विकास के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंप सकता है।
- ☛ अनुच्छेद-371 (क)ख के अनुसार, नागालैंड के राज्यपाल को भी विद्रोही नागाओं द्वारा कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में समस्या उत्पन्न किये जाने से संबंधित विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गये।
- ☛ अनुच्छेद-371ग (1) के अनुसार, मणिपुर के राज्यपाल को भी पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित राज्य व्यवस्थापिका की सभाओं की समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं।
- ☛ किसी विशिष्ट परिस्थिति या मामले पर जहां राज्यपाल अपने स्वविवेक से कोई कार्य करता है या निर्णय लेता है, उसका निर्णय अंतिम होगा। कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में जहां राज्यपाल का स्वविवेक से कार्य करना आवश्यक है, संभव है कि वहां राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर भी कार्य कर सकता है, भले ही संविधान में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत उनका उल्लेख न किया गया हो। ऐसे कार्यों में सम्मिलित हैं-

1. यदि किसी राज्य में सत्ताधारी सरकार राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने में असफल रही हो या वह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हो, तो वह उस स्थिति में राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू करने की सिफारिश कर सकता है।
2. अनुच्छेद-356 की उद्घोषणा के उपरांत राज्यपाल, राष्ट्रपति के अभिकर्ता (Agent) के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य शासन के सर्भी कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन करेगा।
3. किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित करने के लिये अपने पास रोक सकता है। (अनुच्छेद-200)। यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल हर स्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयों से सहमत हो। यह स्थिति विशेषतया तब होती है, जब संबंधित राज्य में ऐसा दल शासन में हो जो केंद्र में शासन कर रहे दल से भिन्न हो।

राज्यपाल की राजनीतिक भूमिका

राज्यपाल की स्थितिः संवैधानिक एवं वास्तविक

- राज्यपाल की स्थिति के संबंध में यदि संविधान के विभिन्न उपबंधों का अवलोकन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं ने राज्य प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां राज्यपाल को ही सौंपी हैं। राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पर ही चलाया जाता है और राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। वह राज्य विधान मंडल का अधिवेशन बुलाता है और राज्य की विधान सभा को निश्चित अवधि से पूर्व पूर्व भंग भी क कर सकता है। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित गया किया कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता।
- जब राज्य विधान मण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, वह मंत्रिपरिषद भी संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा एक परामर्शदात्री संस्था-सी प्रतीत होती है। कुल मिलाकर, संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्यपाल की राज्य के प्रशासन संबंधी कार्यकारी, संवैधानिक, न्यायिक और वित्तीय क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।
- राज्यपाल के संवैधानिक मुखिया होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका पद सर्वथा महत्वहीन है। राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना स्वेच्छा से करने का अधिकार भी दिया गया है। ऐसी शक्तियों को विवेकाधिकार कहते हैं। ये शक्तियां राज्यपाल की वास्तविक स्थिति को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाती हैं।
- लेकिन हाल के वर्षों में राज्यपाल का पद काफी विवादस्पद हो गया है। संविधान निर्माताओं द्वारा मूल रूप से की गई इस पद की कल्पना और पिछले पचास वर्षों में इसके कार्यान्वयन में भारी अंतर आया है। 1967 के आम चुनावों के बाद जब विभिन्न राज्यों में केंद्र से पृथक् पार्टी की सरकार बनी तब से यह पद चर्चा का विषय बना। उसी समय से एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियों में ही राज्यपालों द्वारा भिन्न-भिन्न निर्णय लिये जाने के कारण केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव शुरू हुआ। राज्य सरकारों ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया। 1980 के दशक में यह पद इतना विवादित रहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस पद को पूरी तरह समाप्त करने की ही मांग कर डाली। इन घटनाओं ने इस पद की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचायी।
- इसी विवाद को कम करने के और राज्य केंद्र संबंधों को मधुर बनाने के लिए राज्यपाल के काम काज में परिवर्तन के कई सुझाव दिए गए। उदाहरण के लिए, राजमन्नार समिति (1970 में तमिलनाडु में द्रमुक मंत्रिमंडल द्वारा गठित) ने सुझाव दिया कि

1. राज्यपाल की नियुक्ति, संबंधित राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद ही की जाए, और,
2. राष्ट्रपति राज्यपालों को यह दिशा-निर्देश दें कि वे एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियों में एक जैसा ही निर्णय लें ताकि उनके विवेकाधिकार का उपयोग कम हो सके।

- अंततः केंद्र-राज्य संबंधों की गहन समीक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1988 में सरकारिया आयोग का गठन किया ताकि आयोग इन संबंधों को अधिक सार्थक एवं रचनात्मक बनाने के लिए सुझाव दे ।

सुझाव

सरकारिया आयोग ने राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया कि-

1. राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श के बाद ही की जाए,
2. केवल ऐसे व्यक्ति राज्यपाल बनाये जाएं जो अपनी निष्ठा के लिए पहचाने जाते हो और जो स्थानीय राजनीति में बहुत सक्रिय न हो, तथा;
3. यदि किसी मंत्रिमंडल के बहुमत में होने का संदेह हो तो इसे स्पष्ट करने के लिए सही स्थान विधान सभा है लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री जान बुझकर यदि इसे टाल रहा हो, तो राज्यपाल स्वयं पहल कर इस मामले को हल कर सकता है।

- अतः यदि सरकारिया आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित कर लिया जाता है तो राज्यपाल के पद को लेकर पैदा हुआ विवाद काफी हद तक कम किया जा सकता
- केंद्र-राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में गठित सरकारिया आयोग, जिसने अपना प्रतिवेदन 1988 में सरकार को प्रेषित किया था, ने राज्यपाल की भूमिका को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर विस्तृत रूप से विचार किया था तथा इस संबंध में अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।
- आयोग ने यह सुझाव दिया था कि, यदि किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसके संबंध में निम्नलिखित मापदण्ड अपनाये जाने चाहिये-
  - ❖ वह समाज का ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो; ख वह राज्य से बाहर का व्यक्ति हो;
  - ❖ वह राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठता से न जुड़ा हो, एवं
  - ❖ पिछले कुछ समय में उसने सक्रिय राजनीति में भाग न लिया हो।

☛ केंद्र में सत्ताधारी दल से संबंधित राजनीतिक व्यक्तियों को उन राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जहां भिन्न राजनीतिक दल सत्ता में हीं। राज्यपाल की नियुक्ति केवल संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के पश्चात् ही की जानी चाहिये। किसी राज्यपाल का चयन करते समय राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष से भी विचार-विमर्श कर सकते हैं। राज्यपाल के पांच वर्ष के कार्यकाल को बाधित नहीं किया जाना चाहिये। यदि किसी विशेष कारणवश राज्यपाल की उसके पद से हटाया जाता है तो इस सबंध में राष्ट्रपति को स्पष्टीकरण देना चाहिये। अपने पद को छोड़ने के उपरांत राज्यपाल को सक्रिय राजनीति में वापस नहीं लौटना चाहिये।

4. जब तक सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। विधानसभा की बैठक बुलाने, उसे संचालित करने एवं उसे भंग करने के सम्बन्ध में सरकारका परामर्श राज्यपाल पर वाध्यकारी होना चाहिये, यदि यह परामर्श असंवैधानिक न हो। विधानसभा को भंग करने के संबंध में, यदि मुख्यमंत्री को सदन का विश्वास मत प्राप्त हैं तो, राज्यपाल को मुख्यमंत्री से अवश्य परामर्श करना चाहिये।
5. अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं अंतिम हथियार के रूप में करना चाहिये। इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिये, जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गये हो, राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक ही, राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में बुरी तरह असफल रही हो तथा इस अनुच्छेद का प्रयोग अपरिहार्य हो गया हो। आगे आयोग यह अनुशंसा करता है कि, यदि राज्य सरकार की मात्र कुशासन के आधार पर बर्खास्त किया जाता है, तो यह पूर्णतया अनुचित है।
6. अनुच्छेद-200 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में सामान्यत: राज्यपाल मंत्रिमंडल का परामर्श मानने हेतु बाध्य नहीं है। यद्यपि वह अपने स्वविवेक का उपयोग उस स्थिति में कर सकता है, जब विधायिका अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रही हो। राष्ट्रपति हेतु सुरिक्षत रखे गये विधेयक उसे चार माह की समयावधि के भीतर राष्ट्रपति को भेज दिये जाने चाहिये।

बिहार परिदृश्य

1950 से 2023 के दौरान राज्यपाल और बिहार राज्य के बीच संघर्ष

☛ भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कुछ विशिष्ट शक्तियां और कर्तव्य दिए गए हैं। इनमें से कुछ शक्तियों में राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल का गठन और भंग करने, विधायी विधेयकों को मंजूरी देने या अस्वीकृत करने, और राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने का अधिकार शामिल है। बिहार राज्य में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष एक पुरानी समस्या है। यह संघर्ष अक्सर राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने के प्रयासों के कारण होता है। इस संघर्ष के कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं:

- ❖ राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद
- ❖ राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों की गलत व्याख्या
- ❖ राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप

☛ बिहार राज्य में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। यह संघर्ष कई कारणों से हुआ है, जिनमें राजनीतिक कारण, व्यक्तिगत कारण और प्रशासनिक कारण शामिल हैं।

1950 से 2023 के दौरान राज्यपाल और बिहार राज्य के बीच संघर्ष

1950-1980

☛ बिहार राज्य में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष का इतिहास 1950 के दशक में शुरू हुआ।

- ❖ 1950 में, बिहार के राज्यपाल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, ने मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण सिंह, को बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी को लेकर बिहार में काफी विरोध हुआ।
- ❖ 1952 में, राज्यपाल एच.वी. राय ने बिहार सरकार के भूमि सुधार कानून को अस्वीकृत कर दिया। इस फैसले से बिहार सरकार काफी नाराज हुई और इसने राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने राज्यपाल को हटाने से इनकार कर दिया।

☛ 1960 के दशक में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष का एक और चरण आया।

- ❖ 1967: बिहार में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद के कारण राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। इस घटना ने राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया।
- ❖ 1967 में, राज्यपाल जगमोहन दास ने बिहार सरकार के मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में काफी हंगामा हुआ और इसने राज्यपाल के फैसले को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।

☛ 1970 के दशक में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष कुछ कम हुआ।

- ❖ हालांकि, 1975 में, राज्यपाल एस.एन. अग्रवाल ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जगनारायण मिश्र को बर्खास्त कर दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में काफी हंगामा हुआ और इसने राज्यपाल के फैसले को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।

- 1977: बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद के कारण राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की धमकी दी। इस घटना ने राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया।

1980-2023

- 1980 के दशक में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष फिर से शुरू हुआ।
  - 1981 में, राज्यपाल जगमोहन दास ने बिहार सरकार के कानून मंत्री को बर्खास्त कर दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में काफी हंगामा हुआ और इसने राज्यपाल के फैसले को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।
- 1990 के दशक में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष का एक और चरण आया।
  - 1990 में, तत्कालीन राज्यपाल एस. एम. कृष्णा ने राज्य सरकार के बजट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इस घटना से राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया।
  - 1990: बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद के कारण राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की धमकी दी। इस घटना ने राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया।
  - 1992 में, राज्यपाल एस. एम. शहा ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बर्खास्त कर दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में काफी हंगामा हुआ और इसने राज्यपाल के फैसले को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।
- 2000 के दशक में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष कुछ कम हुआ।
  - 2005: बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद के कारण राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की धमकी दी। इस घटना ने राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया।
  - 2005 में, राज्यपाल सत्येन विश्वास ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्खास्त कर दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में काफी हंगामा हुआ और इसने राज्यपाल के फैसले को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।
- 2010 के दशक में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष का एक और चरण आया।
  - 2011 में, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्खास्त कर दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में काफी हंगामा हुआ और इसने राज्यपाल के फैसले को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।
  - 2013 में, तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य सरकार के कानूनों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इस घटना से भी राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया।

2020-2023

- 2020 के दशक में, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संघर्ष का एक और चरण आया।
  - 2017 में, बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को कई मामलों में सलाह दी। इनमें से एक मामला था, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक कानून पारित किया था, जो राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान करता था। राज्यपाल ने इस कानून को असंवैधानिक बताया और मुख्यमंत्री से इसे वापस लेने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की सलाह को मानने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच संघर्ष हो गया।
  - 2021 में, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को एक विवादास्पद खनन लीज देने के मामले में सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि यह लीज अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की सलाह को मानने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच संघर्ष हो गया।
  - 2022 में, राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्खास्त कर दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में काफी हंगामा हुआ और इसने राज्यपाल के फैसले को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को अनुरोध किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।
  - 2022 में, राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल में विपक्षी दलों के नेताओं को शामिल करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया।

- 2022 में, राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गठित मंत्रिमंडल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इससे राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया।
- 2023 में, वर्तमान राज्यपाल फागु चौहान ने राज्य सरकार के बजट को मंजूरी देने में देरी की। इस घटना से भी राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया।
- 2023 में, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तावित दो नए नगर निगम (बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023,) के गठन को अस्वीकार कर दिया। इससे राज्य सरकार में नाराजगी बढ़ गई।
- 2023 में, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को एक विवादास्पद भूमि अधिग्रहण कानून को पारित करने के मामले में सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि यह कानून किसानों के हितों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की सलाह को मानने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच संघर्ष हो गया।
- 2023 में, राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के इस पत्र को खारिज कर दिया। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया।
- 2023 में, राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के विवादित भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को कहा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे दोनों पश्नों के बीच संघर्ष बढ़ गया।

वर्तमान पहलू

- 2023 में, बिहार के राज्यपाल के रूप में फागु चौहान की नियुक्ति की गई। चौहान एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। फागु चौहान की नियुक्ति के बाद से, उनके और बिहार सरकार के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष कई कारणों से हुआ, जिनमें शामिल हैं:
  - फागु चौहान के भाजपा से जुड़े होने के कारण, उन्हें बिहार सरकार के एक विरोधी के रूप में देखा जाता है।
  - फागु चौहान ने राज्य सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए, जिनमें शामिल हैं:
    - बिहार सरकार की कृषि नीतियों
    - बिहार सरकार की शिक्षा नीतियों
    - बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति
- फागु चौहान के सवालों और आलोचनाओं से बिहार सरकार नाराज हो गई। सरकार ने फागु चौहान पर राज्य सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगाया। राज्यपाल और बिहार सरकार के बीच संघर्ष कई बार सुर्खियों में आया। इस संघर्ष ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी।

संघर्ष के प्रमुख मुद्दे

- **राज्यपाल और बिहार सरकार के बीच संघर्ष के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:**
  - **कृषि नीतियां:** बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं:
    - किसान सम्मान निधि योजना
    - प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना
    - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- फागु चौहान ने इन योजनाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है।
  - **शिक्षा नीतियां:** बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं:
    - बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा योजना
    - बिहार शिक्षा परियोजना
    - बिहार राज्य शिक्षा नीति 2022
- फागु चौहान ने इन योजनाओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है।
  - कानून-व्यवस्था की स्थिति: बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है। राज्य में अपराध और हिंसा की घटनाएं आम हैं।
- फागु चौहान ने बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है।

संघर्ष के परिणाम

- राज्यपाल और बिहार सरकार के बीच संघर्ष ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। इस संघर्ष ने कई सवाल खड़े किए, जिनमें शामिल हैं:
  - क्या राज्यपाल राज्य सरकार के काम में दखल दे सकते हैं?
  - क्या राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की जा सकती है?

सामान्य विधेयक से संबंधित

राष्ट्रपति-

- प्रत्येक साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों, चाहे अलग-अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस मामले में उसके पास तीन विकल्प हैं-

1. वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है।

2. वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा।

☛ यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राष्ट्रपति के पास केस स्थगन वीटो का अधिकार है।

☛ जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं-

(अ) वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है जिसके बाद वह अधिनियम बन जाएगा,

(ब) वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, फिर विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा,

(स) वह विधेयक को राज्य विधानपरिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सदन द्वारा छह महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है; वह स्वीकृत कर भी सकता है और नहीं भी।

राज्यपाल -

☛ प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के पास चार विकल्प हैं-

1. वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है विधेयक फिर अधिनियम बन जाता है।
2. वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा।
3. यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है।
4. वह विधेयक को राष्ट्रपति की केवल के लिए सुरक्षित रख सकता है।

☛ जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है और उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है यही राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

धन विधेयक से संबंधित

राष्ट्रपति-

☛ संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं-

1. वह विधेयक को स्वीकृति दे सकना है ताकि वह अधिनियम बन जाए।
2. वह स्वीकृति न दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधि नियम नहीं बन पाएगा।

☛ इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यत: राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पुर: स्थापित होने के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है क्योंकि इस उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है। जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं-

(अ) वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, ताकि विधेयक अधिनियम बन सके,

(ख) वह उसे अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधान सभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता (जैसा कि संसद के मामले में)

राज्यपाल-

☛ कोई भी वित्त विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं-

1. वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाता है।
2. वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं पाता है।
3. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधान सभा को वापस नहीं कर सकता। सामान्यत: उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुर: स्थापित वित्त विधेयक को वह स्वीकृति दे देता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे, तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इस है कि आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है।

अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों की तुलना

क्र. सं.	राष्ट्रपति	राज्यपाल
1.	वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो। दूसरे उपबंध से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है न कि एक सदन द्वारा	वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित करसकता है, जब विधानसभा (एक परिषदीय व्यवस्था में) सत्र में न हो या सत्र में (बहुसदस्यीय व्यवस्था) विधानमंडल के सदन सत्र में न हों। दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन (बहुसदनीय व्यवस्था) सत्र में न हो क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है।
2.	वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है, जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है।	जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।
3.	अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के सह-अस्तित्व में के समान शक्ति है। अर्थात वह उन्हीं विषयों अध्यादेश जारी करता है, जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है।	अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधानपरिषद के सह अस्तित्व के रूप में है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है, जिन पर विधान मंडल को विधि बनाने का अधिकार है।
4.	उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है, जैसे संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम ।	उसके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है।
5.	संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं है। इसका मतलब उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है, यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य न हो।	उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधानपरिषद के अधिनियम के बराबर है। अर्थात उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो वह अवैध हो जाएगा।
6.	वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है।	वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है।
7.	उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है, इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है।	उसकी अध्यादेश निर्माण की शांति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है।
8.	उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखा जाना चाहिए चाहिए।	उसके द्वारा जारी अध्यादेश को पुनर्निर्मित करने के लिए उसे विधानमंडल के दोनों सदनों (द्विसदनीय व्यवस्था में) के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।
9.	उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के छह माह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह उस स्थिति में पहले भी समाप्त हो जाता है, जब संसद के दोनों सदन इसे अस्वीकृत करने का संकल्प पारित करे।	उसके द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमण्डल का सत्र प्रारंभ होने के छह सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह इससे पहले भी समाप्त हो सकता है, यदि राज्य विधान सभा इसे अस्वीकृत करे और विधान परिषद (जहां हो) इस अस्वीकृति को सहमति प्रदान करे।
10.	उसे अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती।	यह बिना राष्टपति से निर्देश के निम्न तीन मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता यदि- (अ) राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, (ब) यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने। (स) यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए।

क्षमादान की स्थिति में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शक्तियों की तुलना

क्र. सं.	राष्ट्रपति	राज्यपाल
1.	वह केन्द्रीय विधि के विरूद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।	वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है।
2.	वह सजा-ए-मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर दे।	वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो, तो भी उसे राज्यपाल की बजाए राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी। लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है।
3.	वह कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालत) के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है।	उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR